

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांडल तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:-श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-103/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री कल्याण पिता मोड़ा माली, उग्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) ---वादी

बनाम

1-श्री बद्री पिता मोड़ा माली, उग्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राज0)

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
---प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी
संख्या 1 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज
दिनांक 29.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र
स्वीकार किया जाकर डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की
जाशी की जाती है कि ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या
1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्से
अनुसार दर्ज की जावें।

1-श्री कल्याण पिता मोड़ा माली, उग्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की
जावें।

आराजी नम्बर	रकवा	लगान
4734	- 02.10 विस्वा	-
4739	- 01.00 विस्वा	-

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



कुल किता 2 रकबा

03.10 बिस्वा लगान

2-श्री बट्टी पिता मोड़ा माली, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
4734 / 1	-	0.2.10 बिस्वा -
4739 / 1	-	0.1.00 बिस्वा -
कुल किता 2 रकबा	-	0.3.10 बिस्वा लगान -

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।



(सी.एल.शर्मा)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 29.6..2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी



उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

